

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

सं.प्रशा.।(ले०प०)/RestructuringPart_II/22-23/ग-५२।

दिनांक:29.12.2022

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या Estt. (Au)/Restructuring Part_II/20-21/C-329 दिनांक 17.02.2021 द्वारा बिहार सरकार में गठित NRA Cell को सहयोग प्रदान करने तथा कार्यालय प्रधान (महालेखाकार), लेखा एवं हकदारी, बिहार के साथ समन्वय बनाकर डाटा संग्रह एवं परिसम्पत्तियों का लेखा तैयार करने हेतु इस कार्यालय के तीन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों को नामित किया गया था।

इस कार्य हेतु अब निम्न पदाधिकारियों को नामित किया जाता है :-

क्रम संख्या	अधिकारी का पदनाम
1.	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-I (मुख्यालय)
2.	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/AMG-V (मुख्यालय)
3.	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/FINAT

सभी नामित वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी अपने सम्बंधित मुख्यालय अनुभाग में पदस्थापित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा अन्य कर्मियों को इस कार्य में शामिल कर सकते हैं।

सभी अधिकारी उप-महालेखाकार(AMG-I) के पर्यवेक्षण में यह कार्य करेंगे।

(प्राधिकार : महालेखाकार(लेखापरीक्षा) का आदेश दिनांक 27.12.2022)

ह०/-

उप महालेखाकार(प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना का सचिवालय।
2. उप महालेखाकार/ प्रशासन, AMG-I, AMG-V, FINAT का सचिवालय।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.एस-कृपया इसे कार्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ AMG-I (HQ), AMG-V (HQ), FINAT।
5. सूचना पट्ट।

विनय
29/12/2022
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी(प्रशासन)